

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर
सूचना अधिकार अपील/20/2022

अपीलांट रूपाराम पुत्र मांगीलाल
निवासी वी/पी अम्बेडकर कॉलोनी करमावास तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर
बनाम
राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

आदेश

दिनांक : 21.03.2022

अपीलार्थी रूपाराम पुत्र मांगीलाल निवासी वी/पी अम्बेडकर कॉलोनी करमावास तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 24.02.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की प्रति एवं शुल्क रुपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 533822 दिनांक 19.01.2022 का प्रतिपण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोंडेंट द्वारा निर्धारित समयावधि में अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है और न ही इसके संबंध में इस न्यायालय के समक्ष अपील का कोई जवाब प्रस्तुत किया है।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई है और सूचना उपलब्ध कराया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा यदि प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में नियत शुल्क अदायगी की जावे तो उसे वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

